

## मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(मौजूदा बाजार मूल्यों पर)

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2015-16	2016-17	2017-2018	2018-19
1. राजकोषीय घाटा	3.9	3.5	3.0	3.0
2. राजस्व घाटा	2.5	2.3	1.8	1.3
3. प्रभावी राजस्व घाटा	1.5	1.2	0.6	0.0
4. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	47.6	47.1	46.8	44.4
5. सकल कर राजस्व	10.8	10.8	10.9	11.1

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." से आशय 2011-12 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद से है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए स्थिर विनिमय दरें परिकल्पित हैं। देनदारियों में एनएसएसएफ का भाग तथा कुल एमएसएस देनदारियां, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल नहीं हैं।

1. संशोधित अनुमान 2015-16, बजट अनुमान 2016-17 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों का निष्पादन और अगले दो वित्त वर्षों के चल लक्ष्यों को उपर्युक्त सारणी में प्रस्तुत किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों का निष्पादन और चल लक्ष्य, प्रभावी राजस्व घाटे को छोड़कर, 2015 में यथासंशोधित राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के अनुरूप हैं।

2. 2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (अनुमानित संदर्भ में अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद) व्यय में कोई कटौती किए बिना हासिल कर लिया जाएगा। यह पिछले वर्ष के ठीक विपरीत है जब व्यय में भारी कटौती करके राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सका। वस्तुतः संशोधित अनुमान (2015-16) में, कुल तथा आयोजना व्यय बजटीय स्तर से कहीं अधिक है। राज्य सरकारों को कर अंतरण का अधिक हिस्सा दिए जाने के बावजूद, बजट अनुमान 2015-16 में केंद्र को मिलने वाले निवल कर राजस्व में हुई वृद्धि 1.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के चलते लगभग सपाट थी। तथापि, 2014-15 की तुलना में सकल कर राजस्व में हुई वृद्धि अपेक्षाकृत बेहतर है और लक्ष्य के अनुसार है। चौदहवें वित्त आयोग की कर हिस्से के अधिक अंतरण से संबंधित सिफारिशों और राज्यों को इसकी अनुशंसित अनुदानों के कार्यान्वयन के बावजूद तथा 2015-16 में विनिवेश से होने वाली अनुमानित प्राप्तियों में बड़ी कमी के बावजूद राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे।

3. यह उल्लेखनीय है कि बजट अनुमान 2015-16 में राजकोषीय घाटे को 5,55,649 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत) पर सीमित करने का प्रयास किया गया था। अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद में अनुमान से कम वृद्धि होने के चलते संशोधित अनुमानों में इस लक्ष्य को घटाकर 5,35,090 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस तरह, 2015-16 में घाटों को क्रमिक रूप से कम करने के सरकार के दृष्टिकोण को इस अतिरिक्त कमी का सामना करना पड़ा। तथापि, सरकार अपने कर और कर-भिन्न राजस्व के लक्ष्यों को अपेक्षा से अधिक पूरा करके राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहने में सफल हुई है।

4. राजस्व घाटा, जो ब.अ. 2015-16 में 3,94,472 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत) होने का अनुमान था, अब सं.अ. 2015-16 में 3,41,589 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत) होने का अनुमान है। राजस्व घाटे में हुई कटौती रक्षा पेंशन और प्रमुख सब्सिडियों, मुख्यतः खाद्य सब्सिडी के लिए अधिक आबंटन के बावजूद हासिल की गई है। इसके अलावा, प्रभावी राजस्व घाटे के भी ब.अ. 2015-16 में 2,83,921 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.0 प्रतिशत) से घटकर सं.अ. 2015-16 में 2,09,585 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत) रह जाने का अनुमान है।

5. ब.अ. 2015-16 के सकल कर राजस्व में, सं.अ. 2014-15 की सकल कर राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 15.8 प्रतिशत

की वृद्धि होने का अनुमान था। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि विशेष रूप से आशाजनक थी जिसमें पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। जैसे-जैसे वर्तमान वर्ष आगे बढ़ा, तेल की कीमतों के परिदृश्य ने शुल्क में वृद्धि करके अधिक उत्पाद शुल्क राजस्व के संग्रहण के अवसर दिए। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि अप्रत्यक्ष करों के लक्ष्य न केवल हासिल कर लिए जाएंगे बल्कि अनुमानतः 54,081 करोड़ रुपए अधिक भी होंगे। तथापि, प्रत्यक्ष कर जो 2014-15 की तुलना में 14.6 की साधारण वृद्धि के साथ 7,97,995 करोड़ रुपए के स्तर पर अनुमानित थे, में धीमी वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व सं.अ. 2015-16 में 7,52,021 करोड़ रुपए होना अनुमानित हैं जो बजटीय अनुमानों की तुलना में 45,974 करोड़ रुपए कम है। इसलिए, उत्पाद शुल्क संग्रहण में हुई वृद्धि ने प्रत्यक्ष करों में अनुमान से हुई कम वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने में सहायता की है।

6. चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण केंद्र को प्राप्त निवल कर राजस्व के हिस्से में होने वाली वृद्धि में गिरावट के चलते, विनिवेश प्राप्ति संसाधनों का एक ऐसा वैकल्पिक स्रोत हैं जो कर राजस्व में कमतर हिस्से की अंशतः प्रतिपूर्ति करने के लिए मध्यावधिक संदर्भ में बढ़ाया जा सकता है। आस्तियों की स्ट्रेटजिक बिक्री सहित विनिवेश प्राप्ति सं.अ. 2015-16 में 69,500 करोड़ रुपए अनुमानित थी। विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य, विनिवेश हेतु उपलब्ध पीएसयू धारिता तथा बाजार स्थितियों को देखते हुए तय किया गया था जो बजट के प्रस्तुतीकरण के समय काफी आशावादी और उछाल पर था। लेकिन वर्ष के दौरान बाजार स्थितियां काफी अस्थिर और प्रतिकूल हो गईं। इसलिए सरकारी क्षेत्र की शेरधारिता के आशयित विनिवेश को आगे नहीं बढ़ा सकी। संशोधित अनुमानों में ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति में 36,036 करोड़ रुपए की अनुमानित कमी मुख्यतः कम बजटीय विनिवेश प्राप्ति के परिणामस्वरूप है।

7. कर-भिन्न प्राप्ति के मुख्य स्रोत लाभांश, ब्याज प्राप्ति, सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत प्रयोक्ता शुल्क और प्रभार हैं। केंद्र के कर-भिन्न राजस्व में होने वाली वृद्धि विगत में काफी असमान रही है। एनटीआर के लिए सं.अ. 2015-16 का प्रावधान 2,21,733 करोड़ रुपए रखा गया था जो 2014-15 की वास्तविक एनटीआर प्राप्ति की तुलना में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, वर्ष के दौरान एनटीआर की स्थिति में सुधार हुआ जब विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से अधिक लाभांश प्राप्ति हुई। अन्य कर-भिन्न राजस्व में भी बजटीय अनुमानों की तुलना में अधिक संग्रहण देखे गए हैं विशेषकर विद्युत मंत्रालय से और दूरसंचार मंत्रालय से प्राप्त अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्ति के माध्यम से। इस बढ़ोतरी के चलते, सं.अ. 2015-16 में, एनटीआर प्राप्ति में ऊर्ध्वगामी संशोधन करके उन्हें 2,58,576 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

8. व्यय के मोर्चे पर वर्तमान वर्ष में एक सकारात्मक विशेषता अधिक पूंजी व्यय और निवेश तथा राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के प्रति एक नए प्रतिबद्धता के संदर्भ में रही है। ऐसा पिछले कुछ वर्षों की स्थिति के विपरीत है जब घाटों को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सीमित करने के दबाव का, केंद्र के पूंजी व्यय में गिरावट के संदर्भ में नकारात्मक परिणाम होता था। सं.अ. 2015-16 में पूंजी व्यय 2,37,718 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8 प्रतिशत है और 2014-15 में हासिल किए गए सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.6 प्रतिशत से अधिक है।

9. सरकार को समेकन पथ पर कायम रहने में सहायता करने वाले मुख्य कारक पेट्रोलियम उत्पादों पर अधिक उत्पाद शुल्क संग्रहण (तेल मूल्य में हुई गिरावट से मदद मिली) करने के अवसरों से पैदा हुए जिनसे समग्र बजटीय कर राजस्व को प्राप्त करने और अधिक लाभांश दर के लिए नीतिगत उपायों के जरिए भी कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि करने में मदद मिली। इससे सरकार को प्रत्यक्ष करों एवं विनिवेश प्राप्ति के साथ-साथ कर-राजस्व और अपेक्षाकृत कम अनुमानित स.घ.उ. वृद्धि के उधार सीमा के प्रभाव के कारण हुई कमियों को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिली।

10. अपेक्षाकृत कम अनुमानित स.घ.उ. वृद्धि के प्रभाव के कारण, सरकार के समग्र निवल उधार में सं.अ. 2015-16 में 6 लाख करोड़ रुपए की तुलना में, सं.अ. 2015-16 में 15000 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है। मौजूदा ऋण स्टॉक के संबंध में अधिक मोचन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2016-17 की पहली तिमाही के दौरान अपेक्षित नकद की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उधार लेने के अनुमानित स्तर को निश्चित किया गया है।

11. बजट 2016-17 में, सातवें वेतन आयोग के संभावित कार्यान्वयन, रक्षा सेवाओं में 'एक रैंक एक पेंशन' (ओआरओपी) और 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में आयोजना बजट में 15.3 प्रतिशत की अच्छी खासी वृद्धि के कारण अतिरिक्त देनदारियों के बावजूद राजकोषीय संकेतकों पर एक बड़ा सुधार होने का अनुमान है। इन्हें अगले पैराग्राफों में विस्तार से वर्णित किया गया है।

12. सं.अ. 2016-17 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 3.5 प्रतिशत या अनुमानित संदर्भ में 5,33,904 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह सं.अ. 2015-16 के 5,35,090 करोड़ रुपए से कम है। 2015-16 में राजकोषीय घाटे में स.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत की कमी पिछले वित्त वर्ष में हासिल कमी से काफी बेहतर है। केंद्र का राजस्व घाटा सं.अ. 2015-16 के स.घ.उ. के 2.5 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 3,54,015 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 2.3 प्रतिशत) होने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा 1,87,175 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 1.2 प्रतिशत) होने का अनुमान है जो 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशत का सुधार दर्शाता है।

13. 2016-17 में सकल कर राजस्व 16,30,888 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2015-16 में अनुमानित स.घ.उ. वृद्धि में अधोगामी संशोधन के परिणामस्वरूप कर और स.घ.उ. अनुपात में सुधार हुआ है जो ब.अ. 2015-16 के स.घ.उ. के 10.3 प्रतिशत से बेहतर होकर सं.अ. 2015-16 में 10.8 प्रतिशत हो गया। चूंकि कराधान संबंधी सुधार किए जा रहे हैं, कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को सं.अ. 2015-16 में अनुमानित 10.8 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 10.9 प्रतिशत के अधिक यथार्थपरक के स्तर पर अनुमानित किया गया है। कर- स.घ.उ. अनुपात आकलित करने के लिए कर-वृद्धि को संतुलित रखने में कराधान में उछाल के आधार प्रभाव को भी हिसाब में लिया गया है। सकल कर राजस्व में हुई वृद्धि में, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों का तथा कतिपय कर छूटों को युक्तिसंगत बनाने का भी असर शामिल है।

14. कर-भिन्न राजस्व में ब.अ. 2015-16 की तुलना में सं.अ. 2015-16 में 36,843 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। अनुमानित एनटीआर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक से पीएसडीएफ प्राप्तियों और अधिक लाभांश प्राप्तियों जैसी कतिपय मदें थी। ब.अ. 2016-17 में कर-भिन्न राजस्व 3,22,921 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सं.अ. 2015-16 की 2,58,576 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। इस अनुमानित वृद्धि में स्पेक्ट्रम नीलामी और लाभांश प्राप्तियों के जरिए हुई अधिक प्राप्तियों को हिसाब में लिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों/शुल्कों आदि को युक्तिसंगत बनाकर अधिक प्राप्तियों की संभावना और क्षेत्र से संबंधित व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत यथार्थपरक वृद्धि अनुमानित की गई है। इस क्षेत्र में छिपी हुई अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में आगे कार्य किया जा सकता है।

15. ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां ब.अ. 2016-17 में 67,134 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था है जिसमें विनिवेश से मिलने वाली 56,500 करोड़ रुपए की प्राप्तियां शामिल हैं। इन विनिवेश प्राप्तियों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में धारिता की बिक्री से 36,000 करोड़ रुपए और स्ट्रैटजिक एवं गौण शेयर धारिता की बिक्री से 20,500 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं। विनिवेश प्राप्तियों से संबंधित अनुमानों को, धारिता की बिक्री से मिलने वाली इष्टतम प्राप्तियों पर असर डालने वाली प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण 2015-16 के संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया। 2016-17 में विनिवेश के बजटीय अनुमानों को कम करके अधिक यथार्थपरक स्तर पर लाया गया है। सरकार संशोधित कार्य नीति पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है और 2016-

17 के दौरान विनिवेश प्रक्रिया पर अधिक जोर-शोर से कार्य करेगी।

16. केंद्र का कुल व्यय ब.अ. 2016-17 में 19,78,060 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। व्यय का राजस्व घटक 17,31,037 करोड़ रुपए के स्तर पर अनुमानित है जो 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जबकि 2,47,023 करोड़ रुपए के स्तर पर पूंजी व्यय की ब.अ. 2016-17 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बजटीय व्यवस्था है। वेतन और पेंशन संशोधन तथा ओआरओपी के कारण केंद्र के व्यय के राजस्व घटक में होने वाली काफी अधिक वृद्धि को समायोजित करने के बाद भी, अधिक पूंजी व्यय को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं ताकि 2016-17 में राजस्व और पूंजी व्यय के असंतुलन को अंशतः सुधारा जा सके।

17. बजट 2017-18 से आयोजना और आयोजना-भिन्न घटकों के परिकल्पित विलय से, बजट 2017-18 से राजस्व और पूंजी व्यय पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। व्यय के इस असंतुलन में सुधार के लिए सकारात्मक नीतिगत उपाय किए जाएंगे जिसमें प्रत्यक्ष पूंजी व्यय के साथ-साथ राजस्व व्यय के पूंजी घटक को बढ़ाना शामिल होगा जो राज्यों को और स्वायत्त निकायों सहित अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के रूप में अंतरित किया जाता है।

18. वर्ष के दौरान आयोजना और आयोजना-भिन्न स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने की एक बड़ी कवायद की गई थी। यह बजट 2016-17 के व्यय बजट खंड-2 में परिलक्षित हुई है। समान परिणामों वाली स्कीमों और परियोजनाओं को एक अंब्रेला स्कीम के तहत एक साथ कर दिया गया है ताकि समग्र योजना बनाई जा सके और बेहतर मॉनीटरिंग हो सके। इससे योजनाओं की पुनरावृत्ति से भी बचा जा सकेगा। यह कहा गया है कि नीति आयोग को इस स्कीमों के आवधिक तीसरा पक्ष मूल्यांकन करने का कार्य सौंप दिया जाए। तथापि, इस यौक्तिकीकरण कवायद के पूरे लाभ दीर्घावधिक संदर्भ में ही मिलने की उम्मीद है, जब प्रमुख परिणामों को इष्टतम करने के लिए, इन अंब्रेला स्कीमों के उप-घटकों की समीक्षा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी पुनरावृत्ति समाप्त करने के लिए तथा उप-घटकों की संख्या कम करने के लिए की जाएगी। ये उपाय भी किए जाएंगे कि समान स्कीमों को एक मंत्रालय/ विभाग तक ही सीमित कर दिया जाए।

#### **वर्ष 2017-18 से 2018-19 के लिए राजकोषीय संभावनाएं**

19. राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम के अधिनियमन के परिणामस्वरूप 2004-05 में शुरू की गई थी। सरकार को 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजकोषीय विस्तार संबंधी जरूरतों के कारण समेकन की प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी थी। राजकोषीय समेकन जो

2010-11 में दोबारा शुरू किया गया, अब नए सिरे से निर्धारित किया गया है और लक्ष्य तिथियों को 2012 और 2015 में संशोधनों के जरिए स्थगित किया गया था।

20. आम बजट 2016-17 में वर्ष 2015-16 के मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण में दर्शाई गई राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को अति प्रतिकूल बाह्य वातावरण के बावजूद जारी रखने के सरकार के वचन की पुनः पुष्टि की गई है। तदनुसार, वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे को सघउ के 3.5 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित किया गया है। एफआरबीएम के संशोधित लक्ष्यों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से आगे 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे को प्राप्त किया जाना पूर्वानुमानित है। वेतन संशोधन इत्यादि की अत्यधिक अतिरिक्त देयताओं के चलते कठिन वर्ष के रूप में वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे में सघउ के 0.7 प्रतिशत की गिरावट की चुनौती के मद्देनजर सरकार मार्च 2018 तक 3 प्रतिशत या इससे कम के राजकोषीय घाटे (एफडी) के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करने के प्रति पूरी तरह से आशावान है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को तदनुसार सघउ के 3 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित किया गया है।

21. बजट अनुमान 2016-17 में राजस्व घाटा सघउ के 2.3 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है। यह सं.अ. 2015-16 पर सघउ के 0.2 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। एफआरबीएम अधिनियम के तहत वार्षिक कटौती लक्ष्य में संदर्भ में विपथन के कारण प्रमुखतः वर्ष 2016-17 के दौरान, वेतन आयोग की सिफारिशों, एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) का क्रियान्वयन और सभी राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संभावित क्रियान्वयन के कारण खाद्य सब्सिडी के लिए अधिक अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप हैं। तथापि, यदि 2015-16 के बजटीय लक्ष्यों और 2015-16 में संसद के समक्ष पेश की गई मध्यावधि राजकोषीय नीति से तुलना की जाए तो सुधार देखने में आया है। पूंजी और राजस्व खाते में असंतुलन को 2017-18 से आगे आयोजना और आयोजना भिन्न में विलय के पश्चात् सक्रिय नीतिगत उपायों के माध्यम से निपटाए जाने का लक्ष्य है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है आयोजना और आयोजना-भिन्न के बीच के अंतर को समाप्त करने से पूरा ध्यान राजस्व और पूंजी खाते पर केंद्रित होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय के अपने पूंजी घटक को बढ़ाने के लिए और आगे सक्रिय उपाय करने की योजना बना रही है। इन परिणामों के बजट 2017-18 में दिखने की संभावना है। तदनुसार, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए राजस्व घाटा, एफआरबीएम अधिनियम में अधिदेशित सघउ की 2 प्रतिशत की सीमा के अनुरूप अनुमानित किया गया है।

22. प्रभावी राजस्व घाटा जो 2015-16 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों में क्रमशः सघउ का 2.0 प्रतिशत और सघउ का 1.5 प्रतिशत पर अनुमानित था, बजट अनुमान 2016-17 में इसमें सघउ के 1.2 प्रतिशत के सुधार का अनुमान है। व्यय के

राजस्व घटक के भीतर इस असंतुलन में और अधिक सुधार करने के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ सक्रिय नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों का पूर्ण प्रभाव 2016-17 के संशोधित अनुमानों में प्रदर्शित होने की आशा है। तथापि, सघउ में 1.2 प्रतिशत का सुधार चुनौतीपूर्ण होगा और इसमें सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से सम्मिलित प्रयास अपेक्षित होंगे ताकि केंद्र की ओर से आने वाले राजस्व अनुदानों से पूंजी घटक पर व्यय को बढ़ाया जा सके। वर्तमान स्थिति आधार पर प्रभावी राजस्व घाटे (ईआरडी) की समाप्ति संभवतः एक वर्ष की देरी से 2018-19 तक होगी। तदनुसार पूर्वानुमान किए गए हैं। तथापि, पूंजीगत व्यय के लिए सहायता अनुदानों (जीआईए) की वृद्धि हेतु किए गए उपायों के मद्देनजर यह अब भी आशा की जा सकती है कि सघउ के 0.6 प्रतिशत के इस असंतुलन को समाप्त कर दिया जाएगा और मौजूदा लक्षित दिनांक तक प्रभावी राजस्व घाटे को भी।

23. सकल कर राजस्व बजट अनुमान 2016-17 में सघउ का 10.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है अर्थात् संशोधित अनुमान 2015-16 के स्तर पर। यह अनुमान अनूकूल मुद्रास्फीति परिदृश्य और अर्थव्यवस्था के संभावित पुनरुत्थान के साथ साथ कर में संभावित उछाल को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। उच्च विकास के मार्ग पर वापसी विशेष तौर पर विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किए गए अनेक नीतिगत उपायों के कारण स्पष्ट प्रतीत होती है। इन उपायों का प्रभाव संभवतः अल्पावधि में ही परिणाम दिखाने लगेगा। इसके अतिरिक्त, जीएसटी के आसन्न क्रियान्वयन और साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर कर वृद्धि के लिए किए गए अन्य नीतिगत उपायों से संभवतः और अधिक कर जुटाने के प्रयासों को अतिरिक्त बल मिलेगा। कर सघउ के अनुपातों को तदनुसार वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 10.9 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित किया गया है।

24. गैर-कर राजस्व राजकोषीय समेकन के वर्तमान चरण में केंद्र के संसाधनों के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिन्हें एफएफसी की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को कर अंतरण के उच्चतर भाग के साथ-साथ प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है। सरकार लाभांशों और विशेषकर प्रयोक्ता प्रभारों और अन्य गैर-कर राजस्वों के माध्यम से प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए उपाय करते हुए इस घटक को और अधिक बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। आगामी वर्ष/वर्षों में नीलामी के लिए देय स्पेक्ट्रस के उपलब्ध शेल्फ से विशेष तौर पर 2016-17 और 2017-18 में समेकन का कठिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

25. सरकार का कुल व्यय जो 2008-09 में जीडीपी का 17.3 प्रतिशत तक चला गया था (सब्सिडियों के स्थान पर जारी प्रतिभूतियां भी शामिल), 2014-15 में घटकर सघउ का 13.3 प्रतिशत रह

गया था। इसके बजट अनुमान 2015-16 में अनुमानित सघउ के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित अनुमान 2015-16 में सघउ के 13.2 प्रतिशत पर होने का अनुमान है। अनुपात में वृद्धि का कारण एकमात्र रूप से यह था कि 2015-16 के दौरान सघउ की नाममात्र की वृद्धि अनुमान से भी कम रही थी। इसके अतिरिक्त, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमांत कटौती वेतन संशोधन के प्रभाव के साथ-साथ आयोजना व्यय के चलते उच्च वृद्धि के कारण उच्चतर योजना-भिन्न व्यय के परिणामस्वरूप है। तथापि, चूंकि वेतन आयोग के वेतन-संशोधन का प्रभाव बाद में वर्षों में कम होता जाएगा और जीडीपी को संभवतः उपभोग मांग में वृद्धि के कारण प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु कुल सरकारी व्यय से सघउ का अनुपात धीरे-धीरे नीचे आएगा। विकासात्मक व्यय के प्राथमिकीकरण और गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि को कम पर सतत ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप, कुल सरकारी व्यय 2017-18 और 2018-19 में घटकर सघउ का क्रमशः 12.6 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

26. 2015-16 की तुलना में, जहां एफडी पर राजकोषीय सुधार पिछले वर्ष के सघउ के 0.2 प्रतिशत का था, सरकार ने अगले दो वर्षों के दौरान त्वरित राजकोषीय समेकन का लक्ष्य रखा है। राजकोषीय घाटे की अनुमानित कटौती 2016-17 में सघउ का 0.4 प्रतिशत पर और 2017-18 में सघउ का 0.5 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित की गई है। 2015-16 के अंत में, केंद्र सरकार की कुल अनुमानित बकाया देयता सघउ का 47.6 प्रतिशत पर है जिसके 2016-17 में और घटकर सघउ में 47.1 प्रतिशत पर आने का पूर्वानुमान है। हालांकि सघउ के प्रतिशत के रूप में अनुमानित बकाया देयताएं राजकोषीय सुधार के कारण अनुमानतः घटता रुझान दर्शाने वाली हैं, फिर भी कम मुद्रास्फीति के कारण सघउ की इस निम्नस्तर नाममात्र की वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा। सघउ के प्रतिशत के रूप में कुल देयता के 2017-18 में 46.8 प्रतिशत और 2018-19 में 44.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। तथापि, केंद्र के ऋण सघउ अनुपात में उत्तरोत्तर गिरावट से ब्याज के बोझ से राहत मिलेगी और सघउ के अनुपात में कम उधारियों के चलते विकासात्मक व्यय विशेषकर अवसंरचनात्मक घाटा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय संभावना मिलेगी।

## ख. राजकोषीय संकेतकों को रेखांकित करते हुए पूर्वानुमान

### 1. राजस्व प्राप्ति

#### (क) कर-राजस्व

27. सकल कर और सघउ के बीच का अनुपात जो 2007-08 में पर्याप्त रूप से बढ़कर 11.9 हो गया था, उस वर्ष से आगे कायम नहीं रहा। इस प्रकार सृजित अतिरिक्त राजकोषीय संभावना 2008-09 और 2009-10 में उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर शुल्क कटौतियों के माध्यम से किए गए प्रति-चक्रीय उपायों के साथ ही दूर हो गई थी। कर सघउ अनुपात तभी से 10 प्रतिशत की जद में

रूका हुआ है। 2014-15 में 9.9 प्रतिशत के कर-सघउ के अनुपात की तुलना में 2014-15 के वास्तविक प्राप्ति पर 16.4 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ 2015-16 के बजट अनुमानों में 10.3 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ गया था। बजट अनुमानों पर संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्वों में 10,121 करोड़ रूपए की मामूली वृद्धि और सघउ की अपेक्षाकृत निम्नतर और नाममात्र की वृद्धि के कारण कर और जीडीपी का 10.8 प्रतिशत पर अनुमानित है।

28. कर और सघउ का अनुपात सामान्यतः ब.अ. 2016-17 में 10.8 अर्थात् सं.अ. 2015-16 के स्तर पर रहने का अनुमान है। यह 2015-16 के संशोधित अनुमानों पर 11.7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ है। यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न बृहत-आर्थिक वृद्धि संकेतकों पर मिले-जुले या कभी कभी विरोधाभासी संकेतों में भी यह वृद्धि के पुनरुत्थान रुझान के स्पष्ट आभास हैं। यह वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत (स्थिर बाजार मूल्यों पर), 2014-15 में प्राप्त 7.2 प्रतिशत और 2013-14 में 6.6 प्रतिशत पर सीएसओ के अग्रिम अनुमानों के वृद्धि पूर्वानुमान में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। 7.6 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि 2015-16 में प्राप्त किए जाने वाली कम वैश्विक मांग, दो बार लगातार सामान्य कम मानसूनों और अधिक क्षमता व भारग्रस्त तुलन पत्रों के आलोक में कम निजी निवेश के बावजूद हैं।

29. व्यय की चौकितकीकरण पर उपायों के अतिरिक्त, सरकार की राजकोषीय समेकन नीति कर राजस्वों में उच्च वृद्धि के विगत रुझानों पुनः प्राप्त करने पर निर्भर है और यह गैर-कर राजस्वों को और बढ़ावा देगी। सकल कर राजस्वों पर बुनियादी सुधार चालू वर्ष के दौरान पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं और बजट 2016-17 में उठाए जा रहे नीतिगत कदम 2015-16 में प्राप्त उच्च आधार पर वृद्धि पाने में मदद करेंगे। तथापि, निचले क्रम में, मुद्रास्फीति का दबाव कम होने के चलते, नाममात्र की वृद्धि, पूर्ववर्ती उच्च वृद्धि के वर्षों की तुलना में मध्यम गति के बढ़ने का अनुमान है। इसके अगले वर्ष अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि पर कुछ दबावकारी प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर चालू वर्ष में उच्च वृद्धि आधार प्राप्त किया गया था।

30. कर संभाव्यता में बढ़ते और उतरते क्रम साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे विभिन्न नीतिगत उपायों और अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी उपायों को ध्यान में रखते हुए, सकल कर राजस्व को सं.अ. 2015-16 पर 11.7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ 2016-17 में सघउ के 10.8 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है। प्रत्यक्ष करों के सं.अ. 2015-16 में 12.5 प्रतिशत की दर पर बढ़ने और सघउ के 5.6 प्रतिशत पर स्थिर होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष करों के सं.अ. 2015-16 पर 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और सघउ में इसकी 5.2 प्रतिशत की भागीदारी होगी। 2017-18 और 2018-19 में सकल कर से जीडीपी का अनुपात क्रमशः 10.9 प्रतिशत

और 11.1 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित है। वर्ष 2007-08 से देखे गए अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों के उच्चतर भाग का रूझान बजट अनुमान 2016-17 में बना रहेगा।

31. अप्रत्यक्ष करों में, सघउ के प्रतिशत के रूप में आय कर से प्राप्त राजस्वों के सं.अ. 2015-16 में सघउ के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2016-17 में सघउ का 2.3 प्रतिशत होने का अनुमान है जिससे 18.1 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सकल कल राजस्वों में आय कर की हिस्सेदारी सं.अ. 2015-16 में 20.5 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2016-17 में 21.7 प्रतिशत हो गई। निगम कर, जिसमें चालू वर्ष सहित तत्काल विगत में वृद्धि में गिरावट देखी गई है, अब इसमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए नीतिगत उपायों के कारण सघउ के 3.3 प्रतिशत पर ब.अ. 2016-17 में 9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

32. अप्रत्यक्ष करों में, सेवा कर निरंतर बढ़ते रहे हैं और छूटों की सूची में छटनी करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों, स्वच्छ उपकरण पर लगाए गए उपकरण के कारण और बढ़े हुए कवरेज व अनुपालनों व सेवा कर के 12.36 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत होने के कारण इसमें 2014-15 पर सं.अ. 2015-16 में 25 प्रतिशत की वृद्धि और ब.अ. 2016-17 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों से प्राप्त राजस्वों में हाल ही के वर्षों में सकल कर राजस्वों की प्रतिशतता के रूप में घटता रूझान देखने में आया है। सीमा शुल्क राजस्वों की हिस्सेदारी सं.अ. 2015-16 में सकल कर राजस्वों के 14.4 प्रतिशत पर और बजट अनुमान 2016-17 में 14.1 प्रतिशत का गिरता रूझान जारी रहा। प्रमुखतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट को सहारा देने के कारण उत्पाद शुल्क संग्रहणों में अप्रत्याशित उछाल देखने में आया और इनकी सं.अ. 2015-16 में सकल कर राजस्वों के 19.5 प्रतिशत भाग की भागीदारी रही। बजट अनुमान 2016-17 में उत्पाद शुल्क से अनुमानित प्राप्तियां सकल कर राजस्वों का 19.5 प्रतिशत है।

#### (ख) राजस्वों को अंतरण

33. चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन 42 प्रतिशत के उच्च हिस्से के साथ 2015-16 में शुरू किया गया था, की विभाज्य पूल (उपकरण/अधिभार और संग्रहों की लागत घटाकर सकल कर राजस्व जो विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं बनता) आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में कर अंतरण का राज्यों का हिस्सा 2015-16 के संशोधित अनुमान के अनुसार 5,14,657 करोड़ रुपए बैठता है। यह पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 1,76,849 करोड़ रुपए और 52.4 प्रतिशत वृद्धि चिन्हित करता है। ब.अ. 2016-17 में करों में राज्यों का हिस्सा चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 10.8 प्रतिशत वृद्धि के चलते 5,70,337 करोड़ रुपए अनुमानित है।

34. संशोधित बटवारा पद्धति के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र के कर राजस्व का हिस्सा सं.अ. 2015-16 में लगभग 7 प्रतिशत अनुमानित है और अनुमान है कि ब.अ. 2016-17 में यह इसी स्तर अर्थात् 7 प्रतिशत पर बने रहने का अनुमान है। केंद्र का निवल कर राजस्व मामूली रूप से बढ़कर 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.1 प्रतिशत और 2018-19 में 7.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

#### (ग) कर भिन्न राजस्व

35. केंद्र के कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश प्राप्तियां, राज्यों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से ब्याज प्राप्तियां, विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार और शुल्क, अपतटीय तेल फिल्ड से रायल्टी, प्राफिट रायल्टी और स्पेक्ट्रम शुल्क व नीलामियों सहित दूरसंचार क्षेत्र से प्राप्तियां हैं। बजट 2015-16 में सांकेतिक संदर्भों में कर-भिन्न राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.6 प्रतिशत अथवा 2,21,733 करोड़ रुपए अनुमानित था। 2015-16 के संशोधित अनुमान 2014-15 की वास्तविक तुलना में 30.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए अब 2,58,576 करोड़ रुपए अनुमानित है।

36. कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां सं.अ. 2015-16 में सघउ का 1.9 प्रतिशत बैठती है जो इस वर्ष के चौदहवें वित्त आयोग के अनुमान से काफी अधिक सघउ का 1.53 प्रतिशत है। सं.अ. 2015-16 में वर्धित प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक/बैंकों/बीमा और अन्य वित्तीय संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश व सामान्य/सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत प्राप्तियां के कारण है।

37. कर-भिन्न राजस्व चौदहवें वित्त आयोग के सघउ के 1.52 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में ब.अ. 2016-17 में 3,22,921 करोड़ रुपए पर सघउ का 2.1 प्रतिशत अनुमानित है। सांकेतिक अर्थों में यह 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 24.9 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। चल लक्ष्यों में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः सघउ की लगभग 2.0 प्रतिशत और सघउ की 1.8 प्रतिशत अनुमानित है।

38. कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि का श्रेय चालू वर्ष में उच्च आधार को दिया जा सकता है। 2015-16 के संशोधित अनुमान सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभ अथवा इक्विटी धारिताओं, जो भी अधिक है, की लाभांश की दर बढ़कर 30 प्रतिशत करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों से लाभांश में वृद्धि है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लाभांश प्राप्तियां बैंकों के पुनर्पूजीकरण हेतु इक्विटी के प्रचूर निषेचन के बावजूद अधोगामी प्रवृत्ति दर्शा रही है। लाभांश में गिरावट बैंकों द्वारा अपनी अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के कारण अनुमानित लाभ कम होने के कारण है।

39. ब्याज प्राप्तियां, जो मुख्यतया: रेलवे, राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से हैं, मंद बनी रही है। यह रेलवे अभिसमय समिति द्वारा रेलवे से ब्याज/लाभांश की दर 2015-16 में 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने के अधोगामी पुनरीक्षण के कारण है। रेलवे अभिसमय समिति का निर्णय लंबित रहने के चलते 2016-17 में भी यही दर मानी गई है। राज्यों से ब्याज प्राप्तियां भी मंद है और अनुमान है कि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्यों को समग्र उधार देने में गिरावट के कारण मध्यावधि में और गिरावट का अनुमान है।

40. लाइसेंस शुल्क और लेवी तथा स्पेक्ट्रम नीलामियों के कारण प्राप्तियों सहित दूरसंचार प्राप्तियां कर-भिन्न राजस्व का महत्वपूर्ण भाग बनती है। दूरसंचार प्राप्तियां ब.अ. 2016-17 में बढ़ना अनुमानित है। 20 वर्ष पहले जारी लाइसेंसों का नवीकरण संभवतः 2016-17 में आएगा।

## 2. पूंजी प्राप्तियां

### (क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

41. केन्द्र से राज्य सरकारों को ऋणों को बंद कर दिए जाने, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सिवाय, के दृष्टिगत राज्य सरकारों से ऋणों की वसूली में गिरावट का रुझान प्रदर्शित हुआ है। राज्य सरकारों को ईएपी ऋण, वापसी के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। पुराने ऋणों को परिसमाप्त किए जाने के साथ प्राप्तियों के इस स्रोत में क्रमिक रूप से कमी आने की संभावना है। सभी बकाया ऋणों का निम्नतर वसूली में भी योगदान दिया है। ऋणों की वसूली का दूसरा स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई पुनःअदायगियां हैं। घाटा उठाने वाले और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण उद्यमों से चूकों के कारण यह स्रोत भी प्रभावित होता है। सरकार ने हाल ही में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी निष्क्रिय आस्तियों से धनराशि जुटाने, अपने निम्न ऋण को इक्विटी के अनुपात में शक्ति प्रदान करने और बाजार उधारों से निधियां जुटाने को उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नए सिरे से ऋणों को सख्ती से प्रतिबंधित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया में वे ऋण लेने से पूर्व प्रस्तावों का बेहतर वाणिज्यिक मूल्यांकन करेगी।

42. ऋणों और अग्रिमों की वसूली जिसे ब.अ. 2015-16 में 10,753 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था, इसके संशोधित अनुमानों में लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है (ब.अ. 2016-17 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली 10,634 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्य सरकारों से देय पुनर्भुगतान और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्तियों के रुझान को ध्यान में रखते हुए 2017-18 और 2018-19 में मध्यावधि में यह 10,500 करोड़ रुपए अनुमानित है।

### (ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

43. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश, इस श्रेणी के तहत प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है। के.सा.क्षे.उ. में स्टेक होल्डिंग

की कार्यनीतिक बिक्री से प्राप्तियां, इस श्रेणी में प्राप्ति का दूसरा संभावित स्रोत है। ब.अ. 2015-16 में, विनिवेश पूंजी प्राप्तियां कार्यनीतिक बिक्री से 28,500 करोड़ रुपए और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से 41,000 करोड़ रुपए सहित 69,500 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ब.अ. 2015-16 में सघउ के 0.49 प्रतिशत पर अनुमानित प्राप्तियां महत्वाकांक्षी होने के बावजूद वित्त आयोग के अनुमान सघउ का 0.61 की तुलना में कम थी। तथापि, वर्ष के अधिकांश भाग में पाई जाने वाली अत्यधिक अनिश्चित बाजार की परिस्थितियों से विनिवेशों पर अधिकतम से कम प्रतिफल प्राप्त करने की संभावना बलवती हुई। अतः सरकार ने एक और अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने तथा विनिवेशों की दिशा में धीमा गति से कार्य करने का निर्णय लिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आस्तियों की कार्यनीतिक बिक्री भी आस्थगित कर दी गई।

44. उपर्युक्त कारकों और अब तक की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सं.अ. 2015-16 में विनिवेशों से अनुमानित प्राप्तियां निम्नकृम में संशोधित कर 25,000 करोड़ रुपए कर दी गई हैं, सरकार द्वारा कार्यनीतिक विनिवेश सहित नई विनिवेश नीति को अंतिम रूप प्रदान किए जाने की संभावना है। तदनुसार, विनिवेशों से अनुमानित प्राप्तियां 56,500 करोड़ रुपए अनुमानित है (कार्यनीतिक निवेश से 20,500 करोड़ रुपए सहित) जो सघउ का लगभग 0.38 प्रतिशत अनुमानित है। विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य वर्ष के लिए वित्त आयोग द्वारा किए गए सघउ के 0.65 प्रतिशत अनुमानित से अब भी कम है। मध्यावधिक ढांचे से 2017-18 और 2018-19 दोनों के लिए विनिवेश प्राप्तियों के लक्ष्य संरक्षात्मक दृष्टि से 40,000 करोड़ रुपए एकसमान रखे गए हैं।

### (ग) उधार - सरकारी ऋण और अन्य देयताएं

45. केन्द्र की कुल देयता में ऋण स्टाक (आंतरिक ऋण तथा विदेशी ऋण) देयताएं तथा भारत के लोक लेखे में देयताएं शामिल हैं। मार्च, 2015 के अंत में घरेलू और विदेशी देयताओं के बीच हिस्सा क्रमशः 93.8 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत स्थिर रहा। आंतरिक ऋण के हिस्से में वृद्धि का एक बड़ा भाग 2008-09 से केन्द्र के राजकोषीय घाटे में अत्यधिक वृद्धि के कारण रहा है। 2015-16 के अंत में, केन्द्र की कुल बकाया देयताएं सघउ का 47.6 प्रतिशत अनुमानित है।

46. ब.अ. 2015-16 में, सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और निवल बाजार उधार का बजट क्रमशः 6,00,000 करोड़ रुपए और 4,56,405 करोड़ रुपए था। इसमें 2014-15 में 5,92,000 करोड़ रुपए (सकल) और 4,46,922 करोड़ रुपए (निवल) के उधार से क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। ब.अ. 2015-16 में, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधार सकल राजकोषीय घाटे के वित्त 82.1 प्रतिशत बजटीय था। खाता वित्तपोषण के अन्य स्रोत तथा अल्पावधिक कोषागार हुंडियां, लघु बचत संग्रहण, राज्य भविष्य निधियां, निवल

विदेशी सहायता और नकदी आहरण मदों के सकल राजकोषीय घाटे के शेष 17.9 प्रतिशत के वित्तपोषण हेतु बजटीय व्यवस्था थी।

47. स.अ. 2015-16 में 37,517 करोड़ रूपए पर विदेशी सहायता से वसूली बजट व्यवस्था से उच्चतर थी। 2015-16 में अनुमानित उधार, गत वर्ष की तुलना में मामूली अधिक थी। तथापि, सावरेन स्वर्ण स्कीम से संभावित वसूलियों के दृष्टिगत, सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए उधारों को 15,000 करोड़ रूपए तक घटा दिया गया। नवम्बर 2015 और जनवरी, 2016 में खोली गई सावरेन स्वर्ण बांड (एसजीबी) स्कीम के दो खंडों में क्रमशः 972.2 करोड़ रूपए राशि का कुल 3705.95 किलोग्राम स्वर्ण अभिदान प्राप्त हुआ। गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी दो-बिलों में पात्र निवेशकों मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा उच्चतर निवेश के कारण कोषागार हुंडियों की वसूली में वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों की सुखद नकदी स्थिति और अंतरमाध्यमिक की तुलना में राजकोषीय-हुंडियों की नीलामी में उच्चतर ब्याद दरें रहा। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद के कारण, निवल बाजार उधारों में 15,000 करोड़ रूपए की गिरावट हुई और यह 5,85,000 करोड़ रूपए अनुमानित है।

48. वर्ष 2015-16 के दौरान, रूपया दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रारम्भिक निर्गमन की भारित औसत परिपक्वता गत वर्ष में 14.66 वर्ष से बढ़ाकर 16.07 वर्ष कर दी गई। इसका कारण सरकारी ऋण की परिपक्वता पृष्ठभूमि को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किए गए सतत प्रयास रहे। वित्त वर्ष 2015-16 में निर्गमित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिलाभ गत वर्ष में 8.51 प्रतिशत से घटकर 7.89 प्रतिशत रह गया। यह गिरती मुद्रास्फीति दरों के साथ निरन्तर प्रतिलाभ माहौल का संकेतक है।

49. दिनांकित प्रतिभूतियां मुख्यतया बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित होती हैं। वाणिज्यिक बैंक, बकाया दिनांक प्रतिभूतियों (सितम्बर, 2015 के अंत में) का लगभग 45.7 प्रतिशत धारित करते थे। 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं गत वर्ष में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 11.1 प्रतिशत की वर्षा वर्ष वृद्धि दिखाई दी। वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर वृद्धि इस तथ्य का संकेतक है कि 2016-17 के लिए सरकारी उधारी कार्यक्रमों को निजी क्षेत्र से संबंधित वित्तीय संसाधनों पर कोई भी दबाव डाले बिना आराम से पूरा कर लिया जाएगा।

50. दीर्घावधिक प्रतिभूतियों के लिए पारंपरिक तरजीह देते हुए बीमा कंपनियों सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले अन्य प्रमुख निवेशक हैं। सितंबर अन्य 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियों के धारण का हिस्सा पिछले वित्त वर्ष के अंत में 20.9 प्रतिशत से बढ़कर 22.1 प्रतिशत हो गया है। बीमा कंपनियों के हिस्से में वृद्धि तथा सरकारी प्रतिभूतियों के धारण में भविष्य निधि के हिस्से में स्थिरता से लागत में वृद्धि के लिए गुंजाइश पैदा हो रही है।

51. भविष्य निधि सरकारी प्रतिभूतियों में तीसरा मुख्य और स्थिर निवेशक है, जिसका हिस्सा 7.2 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों (एफपीआई) के हिस्से में भी बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई सीमा के लिए मध्यावधिक ढांचे की घोषणा के चलते, एफपीआई के हिस्से में मार्च 2016 तक 5 प्रतिशत की और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

52. सरकार की कुल बकाया देनदारियों 2016-17 के अंत में सघउ का 47.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो संअ 2015-16 में 47.6 प्रतिशत की तुलना में कमी दर्शाता है। पिछले वर्षों में केंद्र के बकाया ऋण में भारी मात्रा में उधार के बावजूद गिरावट प्रदर्शित हुई थी। यह मुख्यतया सघउ में उच्च सांकेतिक वृद्धि के कारण हुआ था। कम से कम मुद्रास्फीति बनाए रखने के लक्ष्य के लिए आरबीआई द्वारा किए गए नीतिगत उपायों के परिणाम आने की शुरुआत होने के चलते मध्यावधिक संदर्भ में, इस परिदृश्य में परिवर्तन आने की संभावना है। ऋण और देनदारियों का अनुपात घटाने के लिए सरकार को आने वाले वर्षों में राजकोषीय समेकन के रास्ते पर बने रहना होगा।

53. ऋण और सघउ का अनुपात जो एफआरबीएम के पश्चात् उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता रहा है और वैश्विक आर्थिक संकट के बाद किए गए मौद्रिक उपायों के बावजूद भी मुख्यतया स्थिर बना रहा है। तथापि, राजकोषीय समेकन के पथ का अनुपालन करके ऋण और सघउ के अनुपात में उत्तरोत्तर कटौती करना आवश्यक है। इससे ब्याज का भार कम होगा और विकासात्मक व्यय के लिए अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश पैदा होगी। मौद्रिक नीति के पक्ष पर राजकोषीय समेकन के उपायों से भी आरबीआई के मुद्रास्फीति नियंत्रण और मौद्रिक नीति आसान बनाने के प्रयासों को सहायता देने में भी मदद करेंगे। इससे अधिक पूंजी अंतर्वाहों के साथ निजी क्षेत्र के उधारों और निवेशों के लिए भी व्यापक गुंजाइश पैदा होगी। सघउ के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे में अनुमानित कमी इस वर्ष 3.9 प्रतिशत से 2016-17 में 3.5 प्रतिशत रहेगी और उसके बाद इन उद्देश्यों के अनुरूप 3 प्रतिशत रहेगी। राजकोषीय समेकन के रोडमैप के अनुपालन के परिणामस्वरूप, सरकार की कुल बकाया देनदारियों में गिरावट होने का अनुमान है और 2017-18 में सघउ के 46.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में सघउ का 44.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

### 3. कुल व्यय

54. केंद्र का कुल व्यय (सब्सिडियों के बदले में जारी प्रतिभूतियां छोड़कर) का स्तर 2008-09 में सघउ के 15.7 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में सघउ के 15.8 प्रतिशत पर पहुंच गया था। यह छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन, किसानों के ऋणों पर कर्ज माफी स्कीम, फ्लैगशिप सामाजिक स्कीमों का विस्तार तथा विशेषकर ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडियों में वृद्धि के प्रभाव से घटित हुआ था। कुल सरकारी व्यय और सघउ का हिस्सा बाद के वर्षों में धीरे-



धीरे कम हुआ है और यह संअ 2015-16 में सघउ के लगभग 13.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

55. सातवें वेतन आयोग को 2016-17 के दौरान 1 जनवरी, 2016 से क्रियान्वित किया जाना है और इसके साथ ही रक्षा सेवाओं के लिए संशोधित एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) योजना भी क्रियान्वित की जानी है। सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त देनदारियों हेतु प्रावधान किए हैं। आयोजना पक्ष में भी संअ 2015-16 की अपेक्षा 15.3 प्रतिशत की अच्छी खासी वृद्धि की व्यवस्था की गई है। यह पिछले वित्त वर्ष के विपरीत है, जब राज्यों को कर अंतरण के उच्च हिस्से के कारण केंद्र सरकार के घटते संसाधनों के चलते 2014-15 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में आंशिक कटौती करने के साथ बअ 2015-16 में आयोजन प्रावधान किया गया था। ब.अ. 2016-17 में सरकार का कुल व्यय सघउ का लगभग 13.1 प्रतिशत होने का अनुमान है जो सं.अ. 2015-16 की तुलना में आंशिक गिरावट दर्शाता है। यह 2008-09 के दौरान केंद्र के कुल व्यय में हुई 1.4 प्रतिशतों की बढ़ोतरी छोटे वेतन आयोग की रिपोर्ट क्रियान्वित की गई थी, के विपरीत है।

### झ राजस्व खाता

व्यय पक्ष का बड़ा मुद्दा जिसका समाधान किया जाना है, राजस्व पूंजी व्यय असंतुलन से संबंधित है। केंद्र का पूंजी व्यय जो 2007-08 में सघउ के 2.4 प्रतिशत के स्तर पर था, तब से सघउ के 1.6 से 1.8 प्रतिशत के दायरे में बना रहा है। अपवाढ़ के रूप में वर्ष 2010-11 रहा है जब पूंजी व्यय सघउ के 2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था। 2015-16 के संशोधित अनुमानों में केंद्र का पूंजी व्यय सघउ का लगभग 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि बअ 2016-17 में यह सघउ का लगभग 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

57. ब.अ. 2015-16 में पूंजी व्यय का हिस्सा कुल व्यय का 13.6 प्रतिशत अनुमानित था जो फिर से कम होकर संशोधित अनुमानों में 13.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। ब.अ. 2016-17 इस व्यय असंतुलन में सुधार की सीमित संभावना है। इसका कारण सातवें वेतन आयोग व ओआरओपी के क्रियान्वयन तथा आयोजना पक्ष में विकासोन्मुख राजस्व व्यय में खासी बढ़ोतरी के कारण राजस्व खाते पर अतिरिक्त देनदारियां हैं। हालांकि, सरकार ने अच्छा संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है और तदनरूप, उक्त बाध्यताओं के बावजूद पूंजी व्यय बअ 2016-17 में कुल व्यय का 12.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

### आयोजना राजस्व व्यय

58. वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक आयोजना के आकार को बजट अनुमानों में बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाया गया था लेकिन अनुमानित कर राजस्वों और विनिवेश की प्राप्ति में कमी आने के साथ-साथ उपयोग की धीमी गति के कारण प्रावधानों को युक्तिसंगत

करने के कारण निर्मित राजकोषीय बाध्यताओं के कारण इन वर्षों में संअ चरणों में काफी कम करना पड़ा था। केंद्र का वास्तविक आयोजना व्यय पिछले तीन वर्षों में 4.5 से 4.7 लाख करोड़ रुपए पर बना हुआ है। बअ 2015-16 में केंद्र के कमतर निवल कर राजस्वों के कारण संसाधन संबंधी बाध्यताओं को देखते हुए आयोजना के आकार को युक्तिसंगत बनाया गया था। 2015-16 में ब.अ. चरण में किए गए उचित प्रावधान के परिणामस्वरूप स.अ. 2015-16 में समग्र आयोजना आकार में कटौती की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः आयोजना संअ 2015-16 ब.अ. चरण में 4,65,277 करोड़ रुपए की तुलना में मामूली सा बढ़कर 4,77,197 करोड़ रुपए हो गया है।

59. वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान आयोजना व्यय का राजस्व घटक 77.8 से 79.6 प्रतिशत के उच्च दायरे के भीतर रहा है। इस असंतुलन को राजस्व पक्ष संबंधी वचनबद्ध घटकों को ध्याम में रखते हुए 2015-16 के दौरान राजकोषीय गुंजाइश की उपलब्धता की सीमा तक ठीक करने की मांग की गई थी। अतः ब.अ. 2015-16 में आयोजना में राजस्व घटक का हिस्सा कम करते 70.9 प्रतिशत पर लाया गया था और स.अ. 2015-16 में यह गिरकर 70.2 प्रतिशत रह गया है।

60. वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में आयोजना का राजस्व संघटक 73.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। मध्यावधिक रूपरेखा में सरकार द्वारा पूंजी और अवसंरचना निवेश व्ययों पर अधिक बल दिए जाने से आयोजना बजट के राजस्व संघटक में 2018-19 तक कम करके लगभग 66 प्रतिशत या इससे भी कम स्तर पर लाने का अनुमान है। इस दिशा में संबंधित उपाय 2016-17 से किया जाना शुरू हो जाएगा।

### (ii) आयोजना-भिन्न राजस्व

61. देश के आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में अधिकांशतः ऐसी मदें शामिल हैं जो प्रतिबद्ध स्वरूप की हैं और जिनमें बदलाव की सीमित गुंजाइश है। इसमें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मुख्य रूप से वेतन और पेंशन, ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाओं पर होने वाला व्यय, सब्सिडी और सांविधिक अनुदान सहित स्थापना व्यय से संबंधित व्यय प्रावधान शामिल है। आयोजना भिन्न राजस्व व्यय के प्रमुख संघटकों से सम्बन्धित ब्योरों पर नीचे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### (क) ब्याज भुगतान

62. ब्याज भुगतान केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा संघटक है। केंद्र के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2007-08 के 38.9 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 46.7 प्रतिशत हो गया जो प्रति - चक्रीय राजकोषीय विस्तारपरक उपायों के कारण हुआ। बजट अनुमान 2015-16 में ब्याज भुगतान और निवल कर राजस्व का अनुपात 49.6 प्रतिशत अनुमानित था। इस अनुपात में वृद्धि मुख्य रूप से सकल कर राजस्व में केंद्र की

हिस्सेदारी कम होने का कारण हुई जिसका कारण यह था कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अधिक मात्रा में कर अंतरण किया गया तथा साथ ही ब्याज दरों के स्थिर बने रहने का भी बना हो। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान में एक गिरावट की प्रकृति बना रहा है और इसे 2015-16 के बजट अनुमानों में 31.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

63. संशोधित अनुमान 2015-16 में केंद्र के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान का हिस्सा घटकर 46.7 प्रतिशत हो जाने का अनुपात है। यह सुधार मुख्य रूप से पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में ब्याज दरों के आसान हो जाने और बाजार उधारों में 15000 करोड़ रूपए की कमी आने के कारण हुई है। सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान पर व्यय के संशोधित अनुमान 2015-16 में और अधिक घटकर 30.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2016-17 में ब्याज भुगतान और निवल राजस्व का अनुपात के सं. अनुमान 2015-16 में 46.7 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर बने रहने का अनुमान है। तथापि, सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में इसके मामूली कम होकर 30.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

64. मध्यावधि में अनुमानित राजकोषीय समेकन की कार्य योजना को देखते हुए ब्याज भुगतान पर मौजूदा व्यय स्तर में और अधिक कमी आने का अनुमान है। 2017-18 और 2018 में राजकोषीय घाटे सघउ के 3 प्रतिशत के भीतर रहने के अनुमान को देखते हुए ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि कम होगी। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति कम होने के मौजूदा स्थान को देखते हुए ब्याज दरों में और अधिक कमी होने की आशा है। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव से केंद्र के निवल कर राजस्व के अनुपात के रूप में केंद्र का ब्याज भुगतान पर व्यय कम होगा तथा उसे विकास पर व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय अवसर प्राप्त होंगे। निजी क्षेत्र की उधारी तथा निवेश पर भी इन उपायों के सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आवश्यकता है क्योंकि सरकारी उधारी में कमी से कम ब्याज दरों पर उधार देने का अवसर उपलब्ध होगा। इस मध्यावधि के दौरान 2017-18 और 2018-19 में ब्याज भुगतान तथा निवल कर राजस्व का अनुपात और अधिक घटकर क्रमशः 45.7 प्रतिशत और 44.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

#### रक्षा कर सेवाएँ

65. रक्षा सेवाओं पर व्यय के राजस्व संघटक में मुख्य रूप से उनके वेतन, स्थापना से संबंधित और अन्य प्रचालनात्मक व्यय तथा भंडारण एवं परिवहन पर होने वाला व्यय शामिल है। बजट अनुमान 2015-16 में रक्षा राजस्व संघटक पर व्यय 1,52,139 करोड़ रूपए होने का अनुमान था जिसके 2015-16 के संशोधित अनुमान में घटकर 1,43,236 करोड़ रूपए हो जाने का अनुमान लगाया गया था। व्यय में कमी वेतन तथा अन्य स्थापना शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित से कम व्यय के कारण हुई है।

66. रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों को रक्षा व्यय को सुस्पष्ट तथा समेकित रूप में व्यक्त करने से बजट 2016-17 में युक्तिसंगत बनाया गया है। इस संबंध में दोहरे कार्य किए गए हैं-अनुदान मांगों की संख्या कम करना तथा गैर-प्रमुख' (नॉन कोर क्रियाकलापों से संबंधित कुछ प्रावधानों को रक्षा (सिविल मांग में अंतरित करना। परिणामतः रक्षा (सेवाओं) का राजस्व संघटक बजट अनुमान 2016-17 में 1,62,759 करोड़ रूपए होने का अनुमान है। 2017-18 और 2018-19 की अनुमान अवधि के दौरान इसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। पूंजी संघटक सहित रक्षा व्यय के 2017-18 और 2018-19 में सघउ के लगभग 1.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

#### ग. पेंशन

67. केंद्र सरकार के पेंशन भुगतान पर व्यय में सिविल और रक्षा दोनों क्षेत्रों के पेंशनभोगी शामिल हैं। पेंशन प्रावधान 4 अनुदान मांगों में अलग-अलग किया जाता है अर्थात् दूरसंचार एवं डाक विभाग के पेंशनभोगी कर्मचारियों को छोड़कर सभी पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए रक्षा (पेंशन) सिविल (पेंशन) परवर्ती दो विभागों के पेंशनधारी कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान का प्रावधान उनके संगत विभागों द्वारा किया जाता है। बजट अनुमान 2015-16 में पेंशन भुगतान पर कुल प्रावधान 88,521 करोड़ रूपए का अनुमान था जिसके 2015-16 के संशोधित अनुमान में 500 करोड़ रूपए के स्थायी स्तर पर बने रहने का अनुमान है।

68. बजट अनुमान 2016-17 में पेंशन भुगतान पर व्यय 1,23,368 करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो सघउ का 0.8 प्रतिशत बैठता है। मौजूदा वर्ष की तुलना में पेंशन भुगतान में पर्याप्त वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान तथा साथ ही रक्षा (पेंशन) में एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने के कारण हुई है। मध्यावधिक अवधि में पेंशन पर कुल ब्याज सघउ का 0.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

#### (घ) राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान

69. राज्य सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान में मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु सांविधिक प्रावधान शामिल हैं। इन सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को राजस्व अंतरण के बाद घाटा अनुदान, राज्य आपदा राहत कोष के लिए सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों को 2019-20 तक के अवार्ड अवधि तक अनुदान (शहरी एवं ग्रामीण) की सिफारिश की।

70. चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप राज्यों को सांविधिक अनुदान के लिए प्रावधान की राशि 2014-15 के 61813 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 2015-16 में 87,415 करोड़ रूपए कर दी गई। 2016-17 के बजट अनुमान में प्रावधान चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया

गया है तथा इसके 1,00,646 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2017-18 और 2018-19 में चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सांविधिक आयोजना-भिन्न अनुदान क्रमशः 1,03,426 करोड़ रुपए और 1,11,388 करोड़ रुपए होने का अनुमान 0.6 प्रतिशत है।

#### (ड.) प्रमुख सस्त्रिडियां

71. प्रमुख मदों जैसे कि खाद्य पदार्थ , उर्वरकों और ईंधन पर सस्त्रिडी व्यय का सरकार के कुल व्यय तथा साथ ही राजकोषीय सुदुद्धीकरण प्रयासों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तथापि, सरकार समग्र सस्त्रिडी व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार लाने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को बनाए हुए है। इसमें गरीबों और जरूरतमंदों को पर्याप्त सस्त्रिडी उपलब्ध कराना तथा साथ ही अवसंरचना एवं सरकार द्वारा घोषित नए कार्यक्रमों में निवेश हेतु दुर्लभ वित्तीय संसाधनों को बचाए रखना भी शामिल है।

72. यह उल्लेख करना समीचीन है कि वर्तमान में पेट्रोलियम और डीजल दोनों सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हैं। सरकार ने एलपीजी के संबंध में 1 जनवरी, 2015 से सभी के लिए लाभ के सीधे अंतरण की स्कीम लागू की है। नई स्कीम में आधार कार्ड धारक और आधार कार्ड नहीं रखने वाले दोनों प्रकार के उपभोक्ता शामिल किए गए हैं। एलपीजी पर सस्त्रिडी सीधे बैंक को नकद अंतरण - अनुरूपी ग्राहकों के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। ताकि सस्त्रिडी भुगतान की द्विगुणता न हो और साथ ही क्षरण से भी बचा जा सके। इसके अतिरिक्त एलपीजी सस्त्रिडी के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि उपभोक्ता या उसके पति/पत्नी की पिछले वित्त वर्ष में आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार परिलक्षित कर योग्य आय प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से अधिक हो।

73. केरोसिन के संबंध में 8 राज्य सरकारें चुनिंदा जिलों में बैंकों में लाभ के सीधे अंतरण (डीबीटी) के लिए आगे आई हैं। जिन जिलों में ऐसे अंतरण की शुरुआत की गई है उनमें उपभोक्ता खरीद के समय केरोसिन की सस्त्रिडी सहित मूल्य का भुगतान करेंगे। बाद में सस्त्रिडी की राशि सीधे लाभकर्ता के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। सस्त्रिडी सहित मूल्य के भुगतान में लाभ भोगी को कोई असुविधा न हो इसके लिए आरंभिक खरीद के दौरान सस्त्रिडी की राशि लाभ-भोगी के खाते में अग्रिम जमा करा दी जाएगी। केरोसिन में डीबीटी को लागू करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों को पहले दो वर्षों के दौरान सस्त्रिडी बचत का 75 प्रतिशत तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत और चौथे वर्ष में 25 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन राशि दी जाए।

74. उर्वरकों के संबंध में पी.के. मिश्रित उर्वरकों में पोषण आधारित सस्त्रिडी सुचारु रूप से चल रही है। 25 मई, 2015 को घोषणा की गई नई यूरिया नीति में ऊर्जा खपत मानदंडों में संशोधन किया गया है और यूरिया यूनितों की श्रेणियां ऊर्जा खपत मानदंड के आधार पर घटाकर तीन कर दी गई है। सस्त्रिडी प्राप्त

यूरिया के देसी उत्पादन का 100 प्रतिशत नीम कोटिंग अनिवार्य बनाया गया है। इससे औद्योगिक उपयोग के लिए विचलन से बचने में सहायता मिलेगी।

75. सरकार ने पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए समर्पित स्कीम भी शुरू की है। 25 राज्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ढांचे का कार्यान्वयन/आंशिक कार्यान्वयन किया है और चूंकि अपेक्षित प्रणालियां शुरू कर दी गई हैं अन्य राज्य भी कार्यान्वयन करेंगे। इसके साथ-साथ पूरे देश में आधार का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति और वितरण प्रणाली, सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के साथ साथ सार्वभौमिक आधार कवरेज, एफसीआई की कार्यात्मक क्षमता में सुधार कुछ उपाय हैं जो अगले चरण में खाद्य सस्त्रिडी सुधार के लिए मंच तैयार करेंगे। सरकार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान इसका सक्रिय अनुशीलन करेगी। खाद्य सस्त्रिडी का नकद अंतरण नियमावली, 2015, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 21.08.2015 को अधिसूचित किया गया था, का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किया जा रहा है।

76. जैसा कि पहले व्याख्या की गई है ध्यान केन्द्रित सस्त्रिडी सुधार के बिना राजकोषीय सुदुद्धीकरण की प्रक्रिया कठिन होगी। मुख्य सस्त्रिडियों पर सरकार का व्यय 2014-15 में सघउ के लगभग 2 प्रतिशत से घटकर सं.अ. 2015-16 में सघउ के लगभग 2 प्रतिशत से घटकर सं.अ. 2015-16 में सघउ का लगभग 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह आशा की जाती है कि बेहतर लक्ष्य रखने सहित सक्रिय नीतिगत सुधारों से आपतन प्रगामी रूप से और कम होगा। ब.अ. 2016-17 में मुख्य सस्त्रिडियों पर 2,31,782 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है जो अनुमानतः सघउ का लगभग 1.5 प्रतिशत होगा। मध्यावधि की तुलना में मुख्य सस्त्रिडियों पर व्यय के धीरे-धीरे घटकर 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः सघउ का 1.4 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

#### पूंजी परिव्यय

77 केन्द्र के पूंजी व्यय में आयोजना और आयोजना-भिन्न दोनों पर किए गए प्रावधान शामिल हैं। आयोजना-भिन्न पूंजी प्रावधान अधिकांशतः रक्षा पूंजी व्यय के लिए हिसाब में लिया जाता है। आयोजना पक्ष में केन्द्र बहुत ही सीमित क्षेत्र में प्रत्यक्ष पूंजी/निवेश व्यय करता है। आयोजना पूंजी व्यय का बड़ा भाग रेलवे (आयोजना जीबीएस सहायता) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा बैंक पुनः पूंजीकरण और व्यय विभाग द्वारा ईएपी ऋणों का राज्य सरकारों को बैंक टू बैंक अंतरण के लिए हिसाब में लिया जाता है। आयोजना पूंजी व्यय, जो सं.अ. 2015-16 में कुल आयोजना व्यय का 29.8 प्रतिशत अनुमानित है, इसके ब.अ. 2016-17 में 26.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

78. यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि राज्य सरकारों के लिए आयोजना राजस्व अनुदानों का काफी बड़ा भाग पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के रूप में प्रदान किया जाता है जो राज्यों में पूंजी व्यय में परिणत होता है। इन्हें राज्यों/स्वायत्त निकायों के खातों में पूंजी निवेश व्यय में प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला के रूप में हिसाब में लिया जाता है। अतः केन्द्र के संसाधनों से प्रवाहित कुल पूंजी व्यय तथा राज्यों एवं स्वायत्त निकायों को दिए गए पूंजी घटक अनुदान दोनों शामिल हैं। सरकार, अपने संसाधनों से प्रवाहित होने वाले अनुदान का पूंजी भाग बढ़ाने हेतु उपाय कर रही है।

79. 2014-15 में केन्द्र का कुल पूंजी व्यय 1,96,681 करोड़ रुपए था जो कुल व्यय का 11.8 प्रतिशत था। ब.अ. 2015-16 में प्रावधान 2,41,431 करोड़ रुपए था जिसे सं.अ. 2015-16 में घटाकर 2,37,718 करोड़ रुपए किया गया। ब.अ. 2016-17 में पूंजी व्यय के लिए प्रावधान 2,47,024 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सं.अ. 2015-16 से 3.9 प्रतिशत अधिक है। यह 2016-17 में अनुमानित है, जो सं.अ. 2016-16 से 3.9 प्रतिशत अधिक है। यह 2016-17 में अनुमानित सघट का लगभग 1.6 प्रतिशत बैठता है। यह माना जाता है कि ध्यान पूंजी और राजस्व व्यय की ओर परिवर्तित करने पर बजट 2017-18 से आयोजना और आयोजना - भिन्न का विलय करने से सरकार अपने कुल व्यय में पूंजी घटक बढ़ाने के लिए सकारात्मक सक्रिय उपाय करेगी। यह धीरे-धीरे राजस्व पूंजी असंतुलन में सुधार करने में समर्थ बनाएगा, जो विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है और कारगर रूप से राजस्व घाटा में कटौती की ओर आगे बढ़ेगा और इसलिए एफआरबीएम अधिदेशित लक्ष्यों के सन्दर्भ में प्रभावी राजस्व घाटा है।

80. केन्द्र के पूंजी व्यय को व्यापक रूप से शामिल करने / आकलन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का आईईबीआर यद्यपि बजटीय प्रावधान से प्रवाहित नहीं होता पर भी विचार करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का आईईबीआर जो ब.अ. 2015-16 में 3,17,889 करोड़ रुपए अनुमानित था, के अब ब.अ. 2016-17 में 3,98,139 करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है, जो 25.2 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। केन्द्र ने विद्युत क्षेत्र में अवसंरचना निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तर्देशीय जल मार्ग और सिंचाई (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) के लिए 31,000 करोड़ रुपए बजट बाह्य संसाधनों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन सृजन की अनुमति दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, को छोड़कर केन्द्र इन अतिरिक्त ईबीआर पर ब्याज और अदायगी की देनदारियों का वहन करेगा।

### सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

81 देश की वृहत आर्थिक स्थिरता विशेषकर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण कम मुद्रास्फीति और राजकोषीय विवेक के जारी रहने के कारण काफी सुधर गई है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर बाजार

मूल्यों पर सघट के सन्दर्भ में 2015-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.6 प्रतिशत विकास करने का अनुमान है। यह 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की वृद्धि में अधिक है। विनिर्माण द्वारा अभिप्रेरित मुख्यतः औद्योगिक वृद्धि से तेजी आने के कारण विकास की गति में तेजी आई है, जिसके, 2014-15 में दर्ज की गई 5.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में (2015-16 में) 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। 7.6 प्रतिशत वृद्धि की उपलब्धि को लगातार दो वर्षों तक कम मानसून तथा वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात में गिरावट की वजह से कम कृषि विकास के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।

82. वर्तमान बाजार मूल्यों पर सघट के सन्दर्भ में विकास 2015-16 में 8.6 प्रतिशत अनुमानित है। अनुमान से कम सांकेतिक विकास यद्यपि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, ने सही अर्थों में सरकार पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। सांकेतिक अर्थ में राजकोषीय घाटा ब.अ. 2015-16 में 5,55,649 करोड़ रुपए से कम करके सं.अ. 2015-16 में 5,35,090 करोड़ रुपए किया गया है, इसके द्वारा उधारों के द्वारा वित्तपोषण की गुंजाइश कम कर दी गई है। ब.अ. 2016-17 में सघट 3.5 प्रतिशत अनुमानित राजकोषीय घाटा 5,33,904 करोड़ रुपए बैठता है, जो सांकेतिक अर्थ में लगभग चालू वर्ष के स्तर पर है।

83. वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्साहजनक प्रदर्शन के आलोक में जो आर्थिक वृद्धि में तेजी कम मुद्रास्फीति कर राजस्व में उछाल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह में वृद्धि और बैंकिंग अवसंरचना, विद्युत, कराधान आदि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार द्वारा जोर दिए जाने के लिए जाना जाता है, अर्थव्यवस्था की भावी संभावना उज्ज्वल दिखाई देती है। जैसा कि वृहत आर्थिक ढांचा में प्रकाशित किया गया है। वर्तमान बाजार मूल्यों पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2016-17 में लगभग 11 प्रतिशत रहने की संभावना है। मध्य अवधि में विकास में तेजी की मामूली पूर्वधारणा से वर्तमान बाजार मूल्यों पर सघट में क्रमशः 2017-18 और 2018-19 में 12 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

### ख निम्नलिखित से संबंधित सम्पोषणीयता का आकलन

#### राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन:

84 ब.अ. 2015-16 में केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियों 11,41,575 करोड़ रुपए अनुमानित की। ब.अ. 2015-16 में इसके 64,509 करोड़ रुपए बढ़कर 12,060,84 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वृद्धि बजट व्यवस्था से बेहतर निष्पादन की वजह से निवल कर राजस्व के बढ़े हुए हिस्से के कारण तथा उपकर प्राप्तियों के उच्च घटक के कारण हुई। इसके अलावा, बजटीय अनुमानों की तुलना में कर-भिन्न राजस्व में विशेषकर अधिक लाभांश प्राप्तियों के जरिए काफी वृद्धि हुई है। व्यय पक्ष पर भी कुल राजस्व व्यय मामूली रूप से बढ़कर ब.अ. 2015-16 में 15,36,046 करोड़ रुपए से सं.अ. 2015-16 में 15,47,673 करोड़ रुपए हो गया है।

85 उपर्युक्त दो कारणों के परिणाम के रूप में ब.अ. 2015-16 में अनुमानित राजस्व घाटा सघउ के 2.8 प्रतिशत पर काफी सुधार करते हुए स.अ. 2015-16 में सघउ के 2.5 प्रतिशत पर आ गया है। राजकोषीय सुदृढीकरण रोडमैप के सन्दर्भ में 2016-17 में राजस्व घाटा 2.4 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य है, इसे लक्षित तारीख से एक वर्ष पहले ही हासिल किए जाने की संभावना है। ब.अ. 2016-17 में, राजस्व घाटे के सघउ के 2.3 प्रतिशत पर और अधिक सुधार दर्शाने का अनुमान है।

86. 2016-17 में कम प्रगामी सुधार के लिए सातवें वेतन आयोग के वेतन और पेंशन को लागू करने के लिए आगामी संशोधन तथा वन रैंक वन पेंशन हेतु किए गए अतिरिक्त आबंटन की वजह से व्यय के राजस्व घटक में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अतः वेतन और पेंशन में वृद्धि 2016-17 ने इस राजकोषीय मानदंड परक सुधार की गति धीमी कर दी है। तथापि, मध्यावधिक चल अवधि में वेतन आयोग के प्रभाव में वृद्धि धीरे-धीरे कम होगी। इसकी वजह से और राजकोषीय सुदृढीकरण बढ़ाने के उपाय जारी रखने के कारण राजस्व घाटे को सघउ के 2 प्रतिशत के संशोधित एफआरबीएम लक्ष्य के भीतर लाने का अनुमान है, और इसके 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः सघउ के 1.8 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

87. हमारे संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन का आकलन करने का एक दूसरा मानदंड राजस्व प्राप्तियों और आयोजना-भिन्न व्यय के बीच अनुपात के संदर्भ में इसकी जांच करना होगा। आयोजना भिन्न व्यय को मोटे तौर पर उपभोग्य व्यय माना जाता है। आदर्शतः इसे केन्द्र के निवल राजस्व से पूरा किया जाना चाहिए जबकि विकासात्मक आयोजना व्यय का वित्तपोषण उधारों से किया जाना चाहिए। केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियों में आयोजना-भिन्न व्यय का अनुपात जो ब.अ. 2015-16 में 87 प्रतिशत अनुमानित था, इसके सं.अ. 2015-16 में 92.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। आयोजना और आयोजना-भिन्न के विलय के निर्णय के कारण यह मानदंड 2016-17 के बाद प्रासंगिक नहीं होगा।

88. प्रभावी राजस्व घाटा जिसके ब.अ. 2015-16 में सघउ के 2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान था, भी सुधार दर्शा रहा है और अब सं.अ. 2015-16 में इसके सघउ के 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदानों के घटक बढ़ाने के नीतिगत प्रयास हाल ही में किए गए हैं। तथापि, इसके प्रभाव संभवतः अगले वर्ष संशोधित अनुमान चरण पर देखे जा सकते हैं। इस अवस्था में नीतिगत उपायों के प्रभाव बहुत स्पष्ट न होने से मौजूदा प्रवृत्ति पर रूढ़िवादी अनुमान लगाए गए हैं। मौजूदा प्रवृत्ति पर प्रभावी राजस्व घाटा 2017-18 में सघउ के 0.6 प्रतिशत

और 2018-19 में 0 प्रतिशत अनुमानित है तथापि, अधिक सकारात्मक परिणाम से संभवतः 2017-18 तक प्रभावी राजस्व घाटा को समाप्त करने का एफआरबीएम का लक्ष्य अभी भी हासिल किया जा सकता है।

## (ii) अर्जक आस्तियां सृजित करने के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

89. अनुपात के सन्दर्भ में राजस्व प्राप्तियों को आयोजना-भिन्न व्यय मापने की तरह सरकार के खर्च की गुणवत्ता राजकोषीय घाटा के प्रति आयोजना व्यय के अनुपात के सन्दर्भ में बढ़ाई जा सकती है। यह उधार के उस भाग को दर्शाएगी जिसका उपयोग अर्जक विकासात्मक व्यय के लिए किया गया है।

90. ब.अ. 2015-16 में, कुल आयोजना व्यय 4,65,277 करोड़ रुपए अनुमानित है, इसके राजकोषीय घाटे का 83.7 प्रतिशत होने का अनुमान था। संशोधित अनुमान में यह अनुपात काफी सुधरा है और सांकेतिक अर्थ में राजकोषीय घाटा में काफी कमी के साथ-साथ आयोजना व्यय में मामूली वृद्धि के कारण इसके 89.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ब.अ. 2016-17 में, राजकोषीय घाटा में आयोजना व्यय का अनुपात काफी हद तक सुधरकर 103 प्रतिशत होने का अनुमान है, इससे यह ज्ञात होता है कि इस मानदंड पर मौजूदा असंतुलन आगामी वर्ष के दौरान सुधरने की ओर अग्रसर हो रहा है।

91. हालिया विगत में राजस्व पूंजी असंतुलन एक ओर राजस्व वृद्धि में गिरावट और दूसरी ओर राजकोषीय सुदृढीकरण के दबाव के कारण लगातार बना हुआ है। इसका प्रभाव पूंजी व्यय बढ़ाने के लिए गुंजाइश कम करने पर पड़ा है। पूंजी और राजस्व व्यय के बीच का अनुपात 2014-15 में 11.8 और 88.2 प्रतिशत था। इस असंतुलन में कुछ हद तक बजट 2015-16 में सुधार होना चाहिए था। सं.अ. 2015-16 में राजस्व व्यय के प्रति पूंजी का अनुपात क्रमशः 13.3 और 86.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2007-08 में 16.6 प्रतिशत पहले उच्च पूंजी व्यय हासिल करने के बाद से यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा।

92. ब.अ. 2016-17 में, कुल व्यय में पूंजी व्यय का हिस्सा 12.5 प्रतिशत घटने का अनुमान है। केन्द्र के समग्र राजस्व व्यय में वृद्धि करने के मद्देनजर वेतन/पेंशन और वन रैंक वन पेंशन में संशोधन के लिए किए गए प्रावधान के कारण 2016-17 में वेतन / पेंशनों के प्रभाव से कालान्तर में इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की संभावना है और आयोजना और आयोजना-भिन्न के विलय से 2017-18 से राजस्व और पूंजी व्यय पर सीधे ध्यान दिया जा सकता है, केन्द्र के व्यय का पूंजी घटक 2017-18 में 13.5 प्रतिशत और 2018-19 में 15.6 प्रतिशत बढ़ना अनुमानित है।